

## वित्तीय-बिड (वाहन किराया / Vehicle Hiring)

1. कार्य का नाम :- विद्यालय हेतु आवश्यकता अनुसार वाहन उपलब्ध करवाना
2. धरोहर राशि अनुमानित लागत राशि का 5 प्रतिशत (डी.डी./चेक/CASH द्वारा) :  
.....
3. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म/संवेदक का नाम.....
4. डाक का पता.....
5. मोबाइल नं. ....

### दर सूची (Schedule of Rates)

| क्र.सं. | वाहन का प्रकार    | क्षमता     | दर                    |
|---------|-------------------|------------|-----------------------|
| 1       | बस (Bus)          | 40-52 सीटर | ₹..... प्रति किलोमीटर |
| 2       | मिनी बस           | 20-32 सीटर | ₹..... प्रति किलोमीटर |
| 3       | क्रूजर (Cruiser)  | 10-13 सीटर | ₹..... प्रति किलोमीटर |
| 4       | ईको (Maruti Eeco) | 5-7 सीटर   | ₹..... प्रति किलोमीटर |
| 5       | बोलेरो / समकक्ष   | 7-9 सीटर   | ₹..... प्रति किलोमीटर |

### शर्तें :-

1. विद्यालय की आवश्यकता अनुसार बस, मिनी बस, क्रूजर, ईको अथवा अन्य वाहन निर्धारित समय पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
2. सभी वाहन वैध **Registration Certificate (RC), Fitness Certificate, Permit, Insurance, Pollution Certificate एवं Tax** से युक्त होने चाहिए।
3. चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस एवं पर्याप्त अनुभव होना होगा।
4. वाहन स्वच्छ, अच्छी स्थिति एवं सुरक्षित होने चाहिए।
5. ईंधन, चालक, टोल टैक्स, पार्किंग, रख-रखाव एवं अन्य सभी व्यय फर्म द्वारा वहन किए जाएंगे, जब तक निविदा में अन्यथा उल्लेख न हो।
6. विद्यालय की सूचना पर निर्धारित समय एवं स्थान पर वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
7. वाहन खराब होने की स्थिति में तत्काल समान श्रेणी का वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना फर्म की जिम्मेदारी होगी।
8. भुगतान वास्तविक रूप से तय किए गए किलोमीटर अथवा स्वीकृत शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

9. विद्यालय आवश्यकता अनुसार किसी भी समय वाहन एवं अभिलेखों का निरीक्षण कर सकेगा।
10. किसी भी दुर्घटना, क्षति अथवा कानूनी दायित्व की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी।
11. कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर विद्यालय कार्यादेश निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
12. किसी भी विवाद की स्थिति में विद्यालय के प्राचार्य का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

### विशेष नोट

1. निविदादाता प्रत्येक वाहन का **मॉडल, निर्माण वर्ष एवं सीट क्षमता** का विवरण निविदा के साथ संलग्न करेगा।
2. यदि उपर्युक्त सूची के अतिरिक्त कोई अन्य वाहन उपलब्ध कराया जाता है, तो उसकी दरें पृथक सूची में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. जीएसटी एवं अन्य लागू करों का स्पष्ट उल्लेख निविदा में किया जाएगा।
4. विद्यालय आवश्यकता अनुसार वाहन की संख्या बढ़ाने अथवा घटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
5. निविदा दरें अनुबंध अवधि तक वैध रहेंगी।

हस्ताक्षर

दिनांक